## FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1.1	District (ज़िला):CENTRAL	P.S.(थाना): ANAND PARBAT	<b>Year(वर्ष):</b> 2015	FIR No(प्र.	सू.रि.सं.):0379	<b>Date</b> : 02/06/2015
2.	Act(s)(अधिनियम ):					
	- IPC 1860	406/498A				
3.	Occurrence of Offence (अपराध र्क	ो घटना):				
•	(a) Day(दिन):	Date From(दिनांक से):		Date To(दिनांक तक):		
	Time Period (समय अवधि):	- 1	Time From (समय से):		Time To (समय तक):	
	Day(दिन):	Date From(दिनांक से): Time From (समय से):		Date To(दिनांक तक):		
	Time Period (समय अवधि):			Time To (समय तक):		
	(b)Information received at P.S.(8	ग्राना जहां सूचना प्राप्त हुई ):	<b>Date</b> (दिनांक): 02	2/06/2015	Time (समय	): 11:30 hrs
	(c)General Diary Reference (रोज		Entry No.(प्रविष्टि	सं. <b>):</b> 017A	Date/Time(दिनांक/समय	i):02/06/2015 11:30
4.	Type of Information (सूचना का प्रक	गर): Written				
5.	Place of Occurrence (घटनास्थल ) (a) Direction and Distance from		,		Beat N	<b>o(</b> बीट सं. <b>)</b> : 07
(b) Address(पता): ,H. NO. 188/5, GALI NO. 5, NEHRU NAGAR,						
	(c) In case, Outside the limit of the Police Station (यदि थाना सीमा के बाहर हैं ):					
	Name of P.S(थाना का नाम):		District(ज़िला):			
	( ) 5: ( ) 15: ( )	<b>D. C.</b> (2000)	,		ъ	( <del>-9</del>
	(a) Direction and Distance from	<u>.</u>			Beat N	<b>o</b> (बीट सं.) : 07
(b) Address(पता): ,H. NO. 188/5, GALI NO. 5, NEHRU NAGAR, (c) In case, Outside the limit of the Police Station (यदि थाना सीमा के बाहर हैं ):						
6.	Complainant / Informant (शिकाय					
	(a)Name(नाम): AARTI (C/O) MO	HIT KUMAR				
(b)Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): (c)Passport No.(पासपोर्ट सं.):		वर्ष):	Nationality (	(राष्ट्रीयता):	INDIA	
		Date of Issue (	Date of Issue (जारी करने की तिथि):		Place of Issue (जारी करने का स्था	
(d)Occupation (व्यवसाय):						
	(e)Address(पता): H.NO.188/5,, GALI NO-5, NEHRU NAGAR ANAND PARBAT, ANAND PARBAT, CENTRAL, DELHI, INDIA,					
7	Datails of Known/Suspect/Unkn	own accused with full partic	sulare/attach con	arato choo	t if nococcany/ जान/ मंत्रि	गुरा / अजात अधियक का

का पुरे विवरण सहित वर्णन ):

Year: 2015 FIR No: 0379 Date: 02/06/2015

- 8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण): NO DELAY
- 9. Particulars of the properties stolen/involved (attach separate sheet if necessary):

SI.No. (क्र.सं.) Property Type(Description)

Est. Value(Rs.)(मृल्य (रु में))

- 10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य):
- 11.Inquest Report / U.D. Case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो ):
- 12.F.I.R. Contents (attach separate sheet, if required)(प्रथम सूचना रिपोर्ट तथ्य):

सेवा मे, महिला अपराध शाखा दिल्ली पुलिस कमला मार्किट, दिल्ली। विषय : मेरे पति मोहित सुपुत्र स्व. देवेन्द्र कुमार, सास सुमित्रा देवी, देवर रोहित, जेठ अमित, सभी निवासी डी- 5/67, सुल्तान पुरी, दिल्ली के खिलाफ दहेज मांगने व मारने पीटने की शिकायत। श्रीमान जी, निवेदन है कि मेरी शादी 27.06.2012 को उपरोक्त मोहित से हुई थी, मेरे पिता जी ने मुझे अपनी सामर्थय से बढ़ कर दान दहेज दिया, जिसमे एल० सी० डी० टी० वी०, फ्रिज, वाशिंग मशीन, सिलॉई मशीन, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, सटील अल्मारी बगैरह-2 शामिल है। मैं पूरे सामान की लिस्ट दे सकती हूँ। कुल मिला कर 25,000/- रुपये नकद भी दिए थे। इसके अतिरिक्त मुझे व मेरे पति को सोने के गहने अंगूठी आदि दी थी। शादि के बाद मै अपने पति के साथ उपरोक्त पते पर सयुंक्त परिवार मे रही। इस शादी से एक लडका 12.07.2013 को हुआ, जो कि मेरे पास है। मेरा पति शराबी है और बिना पिए तो लड़ता है लेकिन पीने के बाद मार पिटाई भी करता है, ताने भी देता है कि क्या दिया है तेरे बाप ने दहेज मे। 15.08.2012 को मेरे पित ने दिन मे शराब पी ली और शराब पीने के बाद तीसरी मंजिल से एल० सी० डी० गली मे फेंक दिया और डेसिंग टेबल का शीशा तोड दिया और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मोबाइल फोन भी तोड दिये। मेरा देवर, जेठ व सास भी मुझे दहेज के लिए ताने देते हैं और मेरे पति को मुझे मारने के लिए उकसाते हैं। फिर मेरे माता- पिता जी मेरे पित को समझाने 12.09.2012 को मेरी ससुराल गए लेकिन मेरे पित व सास जेठ व देवर ने मेरे माता पिता के साथ बदतमीजी की। उस दिन भी मेरे पति ने शराब पी रखी थी। इसके बाद 03.10.2012 को मेरा पति व उसका कजिन चतर सिंह व मेरे जेठ, देवर रोहित कुमार व अमित व सास सुमित्रा देवी मेरे पिताजी के घर आए और मोहित ने अपने हाथ से लिख कर माफी मांगी और इन सब ने भी दस्तखत किए व मोहित ने यह भी लिखा कि आगे से वह शराब नही पीएगा। फिर 03.10.2012 को मेरे पिता ने मुझे इन के साथ मेरी ससुराल भेज दिया। 31 अक्तूबर 2013 की पूरी रात को भी मेरे पति ने शराब पी कर मुझसे झगडा किया व मार पिटाई की। 01.11.2013 को सुबह मुझे इन सब लोगों ने मार कर घर से निकाल दिया, तब से मै अपने पिताजी के घर पर हूँ। मेरे पिता ने 30.11.2013 को एस० एँच० औ० साहब, थाना सुल्तान पुरी व एस० एच० ओ० साहब, थाना आनन्द पर्वत को भी इनके खिलाफ दरख्वास्त दी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरा पित अपनी नसें काट लेने की धमकी देता था और कहता था कि मै फांसी खा कर मर जाऊंगा और तुझे फंसा दुंगा। मुझे बहुत डराता था। मेरा पति व सास मुझसे 1,50,000/- रुपए अपने माता-पिता से लाने के लिए कहते हैं। 11.01.2014 की रात को मेरी माता के फोन पर धमकी भरे फोन करता रहा और फिर 12.01.2014 को सबह- सुबह मेरे मायके नेहरु नगर मे आया और मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी व हाथापाई की, मेरे पिता ने 100 न० पर फोन किया, पुलिस आई व मोहित को पकड कर ले गई। महिला मंडल मे मेरी सुनवाई हुई राजीनामा होने के बाद पित के साथ सुसराल जाने के बाद दो महीने ठीक रखा बाद मे वही मारना पीटना गाली गन्दी- 2 देना बच्चे को गंद बोलना अपनी माँ के कहने से मुझे मारना घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इन लोगों ने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। इनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी Sd. English Aarti 10/11/14 आरती पद्धि श्री मोहित कुमार पुत्री श्री रामजी लाल, म. न. 188/5, गली न. 5, नेहरु नगर, नई दिल्ली- 110008. D.O to register a case U/S 498A/406 IPC & investigation handed over to SI Vidyakar Pathak. Sd. English Sahdev Kumar SHO/AP. कार्यवाही पुलिस अज थाना एक शिकायत हिन्दी मतर्बा मरासला Inspr. Sahdev Kumar SHO/AP साहब ने मन DO को थाना मे पेश की। जो तहरीर की मौसूलगी पर मुकदमा हजा बाजुर्म U/S 498A/406 IPC दर्ज Computer करवाकर Computerize FIR Copy मय असल तहरीर बाहुक्म जनाब SHO साहब बराये तफ्तीश SI Vidyakar Pathak साहब के हवाले की गई। जो मुकदमा हजा की आईन्दा तफ्तीश अमल मे लायेगें। दीगर नकुलात बजरिये डाक अफसरान बाला की खिदमत मे अरसाल होगे। HC/DO

Date: 02/06/2015 District: CENTRAL P.S: ANAND PARBAT Year: 2015 FIR No: 0379

13. Action Taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2:

(की गयी कार्यवाही: चंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि किया गया अपराध मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है ):

(i) Registered the case and took up the investigation:

OR (या)

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(ii) Directed (Name of the I.O.)(जांच अधिकारी का नाम ): VIDYAKAR PATHAK

Rank (पद):

SI (SUB-INSPECTOR)

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया ) OR(या) OR (के कारण इंकार किया या)

(iii) Refused investigation due to(जांच के लिए):

(iv) Transferred to P.S(name)(थाना):

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost : (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ) :

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.):

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant:

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer

Name(नाम): RAJENDER KUMAR Rank (पद): HC (HEAD CONSTABLE)

No.(सं.): cipa28891722

15. Date and Time of despatch to the court: (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):